कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

संख्या: स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या -22/2016-17

दिनांक : /09/2016

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर

जनपद- चमोली

विषय : नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग-4 (ब)-1 में 01 प्रस्तर एंव भाग -4 (ब)-2 में 06 प्रस्तर हैं। एवं STAN में 01 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-22/2016-17 दिनांक : /09/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-4 (ब)-1 के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मन्दिर, धर्मपुर, देहरादून

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर, जनपद- चमोली पर निरीक्षण प्रतिवेदन

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत स्थानीय निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री संदीप रावत - अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद

श्री एस0पी0 भट्ट अधिशासी अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री अशोक कुमार, वरि0ले0प0अ0
(ii) श्री अर्जन सिहं, स.ले.प.अ.
(iii) श्री के.वी.गुरुग, पर्यवक्षक
(iv) श्री आशीष मालवीय, वरि0 ले0प0

(स) संप्रेक्षा तिथि 14.06.2016 24.06.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 2013 -14 से 2015 -16

भाग-दो

परिचयात्मक :

पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर जिला- चमोली**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या: -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : 14.08 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 21444

1- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 09

2- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 06

3- (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- शून्य

4- बैठक :

5- कर्मचारियों की संख्या : - 22

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : भवन एवं दुकान

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- 13

9- (अ) सामाजिक संरक्षा : - (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: - (द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :-111354467

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12 क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर, जनपद चमोली** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, वरि0ले0प0अ0, श्री अर्जन सिहं, स.ले.प.अ., श्री के0वी0गुरुंग, पर्यवक्षक एवं श्री आशीष मालवीय, वरि0 ले0प0 द्वारा दिनांक 14.06.2016 से 24.06.2016 कर सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः- यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-I**	**प्रस्तर भाग-2 (ब)-II**
प्रथम लेखा परीक्षा		

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तरः- शून्य

(ग) सतत अनियमितताओं की सूचीः- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

भाग 4(ब)1

प्रस्तर 1:- बहुमंजिला पार्किगं द्वितीय चरण निर्माण कार्य पर ` 61.56 लाख का अनियमित व्यय।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत चमोली में बहुमंजिला पार्किगं द्वितीय चरण निर्माण कार्य हेतु अधिशासी अभिन्यता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा ` 55.63 लाख की प्राविधिक स्वीकृति दिनांक 25-05-2015 को इस प्रतिबन्ध के साथ दिया गया था कि कार्य पर स्वीकृत लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। निविदा दिनांक 22-05-2015 को आमन्त्रित की गई थी एवं सफल निविदादाता से 01% कम दर पर दिनांक 19-06-2015 को अनुबन्ध कर कार्यदेश दिनांक 23-06-2016 को निर्गत कर, कार्य 12 माह में पूर्ण किया जाना था।

नगर पालिका परिषद, चमोली के अभिलेखों की जाँच (06/2016) में पाया गया कि बहुमंजिला पार्किंग द्वितीय चरण के लिए स्वीकृति ` 55.63 लाख के सापेक्ष ` 61.56 लाख में कार्य पूर्ण किया गया था। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति(23-05-2015) के बाद कार्य का प्रस्ताव दिनांक(27-06-2015) को पारित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पार्किग निर्माण के कार्य स्वीकृत आंगणन के अनुसार निष्पादित नही किये गये थे। मूल कार्य के आंगणन के अनुसार निर्धारित मात्रा से Excavation व P.C.C के कार्य (45.55 व 61.53 %) कम कराये गये थे एंव RR Stone Manosry भी इसी अनुपात में (76.87%) कम कार्य कराया गया था, जबकि RCC, L/p, beams, grinder, Cantilevers के कार्य (433.40 व 429.70%) अधिक निष्पादित किये गये थे(**अनुसंग्नक 'क'**)

अतः जब मूल कार्य से नीव तक का कार्य व दीवारों आदि के कार्य 45.55 व 61.53 % कम थे तो RCC व L/P beam, grinders, cantilever) के कार्यो का 433.40 व 429.70% अधिक मात्रा में निष्पादित अनियमित था। लेखापीरक्षा में यह भी पाया गया कि RR dry stone Manosry व 3" prc pipe कार्य का प्रावधान आगंणन में न होने पर भी, कार्य सम्पादन किया गया, जिस पर ` 0.85 लाख का भुगतान किया गया था।

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अधूरी योजना को सम्पादित करने हेतु T.S. की कार्यवाही की गई थी। उसके पश्चात बोर्ड़ द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, स्थल की आवश्यकता को देखते हुये स्वीकृत मात्रा से अधिक कार्य का पुनरीक्षित, आंगणन अग्रिम भुगतान से पूर्व स्वीकृत करवा लिया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि बोर्ड़ द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर ही कार्य करवाया जाना चाहिए था। मूल कार्यों में निर्धारित मात्रा में नीव व दीवार कार्यों पर (45.55 व 61.53 प्रतिशत) एवं R.R Stone Manosry में (76.87 प्रतिशत) कार्य कम किया गया था, जबकि R.C.C, Lintels, beams, Grinders, Cantilever) में (429.70 व 433.40) अधिक मात्रा में कार्य निष्पादित किया गया था तथा आगणन में जो कार्य प्रावधानित नहीं थी उस पर ` 0.85 लाख का भुगतान किया गया था।

अतः बहुमंजिला पार्किगं द्वितीय चरण निर्माण कार्य पर ` 61.56 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकास में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर1: नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2000 के अनुसार न किया जाना।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम 2000 (Municipal Solid Waste Management and Handling Rule 2000) के अनुसार प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत नगरीय ठोस अपशिष्टों के निस्तारण हेतु उसका सग्रंहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण, एवं निपटान (Collection, Storage, Segregation, Transp Ortation, Processing and Disposal) के लिए उत्तरदायी होगा। उक्त कार्य नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत स्वम या किसी एजेन्सी के माध्यम से भी करा सकता है। उक्त नियमों के अनुसार निकायो को राज्य प्रदूषण बोर्ड़ से प्राधिकार पत्र एवं अनापत्ति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठोस अपशिष्ट के जैव अपघटनीय और गैर जैव अपघटनीय का सुरक्षित संग्रहण एवं पृथक्करण करना अनिवार्य है। नगरीय ठोस अपशिष्टों का भण्डारण खुले वातावरण में न हो तथा भण्डारण सुविधाएँ या बिन्स नगरीय ठोस अपशिष्टों के हथालन और परिवहन के लिये एवं सहज प्रचालन के लिये डिजाईन हो। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कुड़े का एकत्रीकरण खुले वातावण में पोखरी बैण्ड़, गोपेश्वर तथा काशीराम बैण्ड़, चमोली में किया जा रहा है। कूडे का एकत्रीतकरण का कार्य स्वमं नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है परन्तु जिसके लिए नगर पालिका परिषद द्वारा राज्य प्रदूषण बोर्ड़ से प्राधिकार पत्र प्राप्त नही किया गया है।

लेखापरीक्षा में इगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ....चूंकि कूडे का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2000 के अनुसार नहीं किया जा रहा है जो पर्यावरण के लिये बहुत हानिकारक है।

अतः नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2000 के अनुसार न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2: शासन की स्वीकृति के बिना महिन्द्रा बोलेरो तथा ` 10,98,674/- की टोयोटा इनोवा क्रय किया जाना।

नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर जनपद-चमोली की वाहन क्रय से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा दिंनाक 27.08.2010 को रजिस्ट्रेशन संख्या UK112881 की महिन्द्रा बोलेरो गाड़ी क्रय की गयी। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्रय किये वाहन के लिये शासन से स्वीकृति प्राप्त नही की गयी थी।

अग्रिम जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि इकाई द्वारा दिंनाक 09.06.2015 को UK 117170 संख्या की टोयोटा इनोवा गाड़ी क्रय की गयी जिसका क्रय मूल्य ` 10,98,674/- था। वाहन क्रय से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा दिंनाक 15.05.2015 को पत्र प्रेषित कर सचिव, शहरी विकास अनुभाग-1, देहरादून से स्वीकृति मांगी गयी थी किन्तु पत्रावली की जाँच में स्वीकृति से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज संलग्न नही था। इकाई द्वारा दोनों वाहन शासन से स्वीकृति बिना ही क्रय किये गये है। से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं था। जिससे यह प्रतीत होता है कि बिना किसी स्वीकृति के इकाई द्वारा दोनों वाहन क्रय किये गये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासन को वाहन क्रय हेतु मांग की गई। शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में वाहन क्रय किये गये।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है, चूंकि बिना शासन की स्वीकृति के किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय किया जाना अमान्य है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 3:- भवन कर एवं दुकानों का किराया ` 44.23 लाख की धनराशि की वसूली हेतु लम्बित रहना।

भवन कर एवं दुकानों के किराये से प्राप्त धनराशि नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद के राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। जिसकी वसूली नियमित रुप से होनी चाहिए ताकि राजस्व में वृद्धि हो तथा धनराशि का उपयोग कल्याणकारी कार्यों पर किया जा सके

नगर पालिका परिषद-गोपेश्वर, चमोली के भवन कर एवं दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि भवन कर एवं दुकानों का किराया वसूली हेतु लम्बी अवधि से लम्बित पड़ा है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

(धनराशि ` में)

क्र.स.	मद का नाम	वसूली हेतु लम्बित धनराशि
1.	भवन कर	13,56,195=00
2.	नगर पालिका के स्वामित्व वाली दुकानों का किराया	30,66,550=00
	कुल योग	**44,22,745=00**

उपर्युक्त लम्बित वसूली के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि सम्वन्धित बकायेदारों को नोटिस दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही है। क्योकि उक्त मदों से प्राप्त धनराशि नगर पालिका की आय का मुख्य स्रोत होता है जिसकी वसूली नियमित रुप से होनी चाहिए थी, यदि वसूली नही हो पाती है तो वसूली के लिऐ भू. राजस्व के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी जबकि ऐसा कोई प्रयास नही किया गया

अतः भवन कर एवं दुकानों का किराया ` 44.23 लाख की धनराशि की वसूली हेतु लम्बित रहना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: नगर पालिका द्वारा 'अंशदायी पेंशन योजना' लागू न किया जाना।

नगर पालिका, शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्था हैं जिसको वित्त-पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से की जाती है। राज्य सरकार ने अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगतः रखते हुये उत्तराखण्ड़ शासन, वित्त (सामान्य नियम वेतन आयोग) अनुभाग-7 संख्या-21/XXVII(7) अ.पे.यो./2005, देहरादून दिंनाक 25.10.2005 द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेंकित निधि से किया जाता है, नयें प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित **'लाभ पेंशन योजना'** के स्थान पर नवपरिभाषित **'अंशदान पेंशन योजना'** दिंनाक 01.10.2005 से अनिवार्य रुप से लागू किया गया है तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाये 01.10.2005 को 10 वर्ष से कम की हो, भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकता है।

नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन, मँहगाई वेतन और मँहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान की कटौती नगर पालिका में अधिकारी/कर्मचारी जिनकी नई पेंशन योजना के लागू होने के उपरान्त नियुक्ति हुई है, नई पंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित विषय पर शहरी विकास विभाग से पत्राचार कर नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

अतः नगर पालिका परिषद द्वारा अंशदान पेंशन योजना अपने कर्मचारियों पर लागू न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 5:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली के तहत उपकर की धनराशि निर्माण कार्यों से कटौती न करते कल्याण बोर्ड़ निधि में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र संख्या-740/ VII/14-680(श्रम)/2002 टी.सी. II दिंनाक 13.08.2014 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनिय 1996 भवनि एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत अधिनियम किये गये है जिसमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हे विभिन्न चिकित्सा सहायता बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता मातृत्व हितलाभ द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये है। उक्त अधिनियम हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्यों की लागत का 01 प्रतिशत जाने का प्रावधान था इसके अन्तर्गत बोर्ड़ की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान था इसके अन्तर्गत सरकारी/गैर सरकारी निर्माण कार्य सम्मिलित किये गये है जिसमें 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे हो, कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर जनपद चमोली के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों एवं भुगतान के बिल तथा बाऊचरों के अवलोकन में पया गया कि मतो निर्माण कार्यों के आगणन में 01 प्रतिशत उपकर का प्रावधान किया गया है और न ही बिलों से 01 प्रतिशत की उपकर के रुप में कटौती की गयी है जिसे कल्याण बोर्ड़ के निधि में जमा किया जाना था लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया सम्बन्धित विषय पर शासनादेश/आदेश प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्यों पर अनुपालन किया जायेगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 6:- सामग्री में अधिक विचलन का उच्चाधिकारी से संस्तुति न लिया जाना तथा अतिरिक्त सामग्री का ` 0.85 लाख का भुगतान करना।

जनपद चमोली में बहुमंजिला पार्किंग द्वितीय चरण निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा आंवटित धनराशि में से ` 55.63 लाख के आंगणन पर प्राविधिक स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा दिंनाक 25.05.2015 को प्रदान किया गया था। आगणन से 01 प्रतिशत कम पर अनुबन्ध दिंनाक 19-06-2015 को किया गया था एवं कार्यदेश दिंनाक 23-06-2015 से 12 माह के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना था।

नगर पालिका परिषद, चमोली, गोपेश्वर की जाँच में पाया गया कि आगणन में प्रविधान सामग्री की मात्रा में माप पुस्तिका में अंकित माप की गई सामग्री की मात्रा मं अधिक विचलन (Variation) थी। इस प्रकार आंगणन एवं माप-पुस्तिका में सामग्री की मात्रा में से प्रतिशत का विचलन था (अनुनग्नक) नियमानुसार 20 प्रतिशत से अधिक जाना चाहिए जो इकाई द्वारा नहीं ली गई। आगे जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका में R.R. Dry Stone Masoney 20.70 Cum @ 1557.70 एवं 3″ Prc Pipe 297 R/F@ 179.00 माप किया गया था, जबकि उपरोक्त सामग्री का आंगणन में प्रविदान ही नहीं था।

इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार करते हुये बताया गया कि विचलन का कारण कार्य स्थल की टोपोग्राफी पर निर्भर है स्थलानुरुप कार्य करवाने पर कार्यमात्रा पर भिन्नता आना स्वाभाविक है इस भिन्नता का निराकरण हेतु कार्य का पुनिरीक्षित आंगणन अन्तिम भुगतान से पूर्व स्वीकृत प्राप्त कर ली जायेगी। तथा R.R. Wali में Weap hole हेतु Prc Pipe की व्यवस्था आंगणन में न होने के कारण Prc Pipe लगाया जिसको लगाया जाना आवश्यक था। इसका निराकरण पुनरीक्षित आगणन में कर लिये जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सामग्री में 20 प्रतिशत से अधिक विचलन से उच्चाधिकारी से संस्तुति प्राप्त किया जाना था तथा आंगणन में R.R. Dry Stone, Manastry एवं 3″ Prc Pipe का प्रावधान न करने से ` 85,407.39 का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 7:- दैवीय आपदा मद के कार्यों को राज्य वित्त मद से ` 4.18 लाख का भुगतान।

दैवीय आपदा मद में सम्पत्तियों के क्षति ग्रस्त होने पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय जाँच समिति की संस्तुति पर जिला अधिकारी द्वारा धनराशि अपमुक्त की जाती है। जिसमें कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 60 दिन के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा निम्न कार्य के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करते समय कपितय शर्तों/प्रतिबन्धों में यह स्पष्ट किया गया था कि जिन मद हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में कियाच जाये एक मद की राशि दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाये।

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	आवंटित धनराशि/वर्ष	व्यय धनराशि	शेष धनराशि	कार्य की स्थिति
1.	पूतड़ हाऊस के पीछे क्षतिग्रस्त माली एवं पुस्ता पुर्ण किया कार्य	0.88 2013-14	-	0.88	अनारम्भ
2.	सुभाषनगर में श्री हरेन्द्र सिंह कुवर के मकान के समीप मार्ग एवं पुस्ता का पुर्ननिर्माण	3.41 2014-15	1.13	2.28	पूर्ण
3.	बगड़ धार (पाड़ुली) में मार्ग एवं पुस्ता पुलिया पुर्न निर्माण कार्य	1.012 2014-15	3.05	-	पूर्ण

उपरोक्त कार्यो के अभिलेखों की जाँच में पाया गयै कै क्रय संख्या.एफ में आवटित धनराशि व्यय नही किया गया है और न ही विभाग को वापस किया गया है। क्रय संख्या 02 में आंवटित धनराशि के सापेक्ष भवन स्वामी द्वारा भूमि न देने के कारण कार्य कम किया गया, जिस कारण ` 2.28 लाख शेष बची थी। क्रम संख्या 03 में आवटित ` **1.012** लाख के सापेक्ष ` **3.05 लाख** व्यय किया गया। इस प्रकार ` **2.04 लाख** का अधिक भुगतान किया गया

आगे की जाँच में पाया गया कि दैवीय आपदा उपरोक्त भुगतान राज्य वित्त मद से किया गया था जिस कारण दैवीय आपदा मद से लेखापरीक्षा तिथि तक ` **6.16** लाख लम्बे समय तक अवरुद पडी हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि दैवीय आपदा मद में तहसील स्तर पर गठित स्थानीय निरीक्षण टीम द्वारा परीक्षणोंपरोन्त ही योजना की स्वीकृति हेतु आग्रसारित किया जाता है गठित आंगणन से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण अवशेष धनराशि का भुगतान राज्य वित्त मद से किया गया।

अतः आंगणन से अधिक व्यय तथा आपदा मद में धनराशि समय पर न मिलने के कारण उक्त कार्य राज्य मद से व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 8:- बिना अनुबन्ध के शर्तो पर छुट दिये जाने के कारण ` 0.67 लाख का राजस्व क्षति होना।

प्रत्येक वर्ष चमोली एंव गोपेश्वर क्षेत्र में नगर पालिका परिषद द्वारा निर्गित पार्किग की निविदा आमन्त्रित की जाती है जिससे इकाई की आय में वृद्धि हो सके। इकाई की पार्किग से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निर्धारित पार्किग शुल्क में अपरिरहार्य छुट दिया गया था। विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र.स.	वर्ष	अनुबन्ध की धनराशि	छुट दी गई धनराशि
1.	2012-13	3.05	0.30
2.	2014-15	3.11	0.18
3.	2015-16	3.15	0.19
योग			**0.67**

अनुबन्ध के शर्तों में विशेष परिस्थितियों में छुट के सम्भन्ध में कोई उल्लेख न होने के पश्चात भी इकाई द्वारा द्वारा प्रत्येक वर्ष छुट दिया गया जिस कारण इकाई को ` **0.67 लाख** क्षति हुई।

इगिंत किये जाने पर वताया गया कि बस स्टैण्ड सार्वजनिक स्थल होने के कारण विभिन्न शासकीय कार्यक्रम संचालित होने के कारण वाहनों को हटाया जाता है। जिससे ठेकेदार के वित्तीय नुकसान की भरपाई हेतु निरीक्षक की आख्या अनुसार ठेकेदार को छुट प्रदान की जाती है भविष्य में छुट के नियमों के अनुसार करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि उपरोक्त 03 वर्षों में बिना अनुबन्ध के शर्तो पर एंव बिना मूल्याकन किये छुट दिया गया, जिस कारण इकाई को राजस्व की क्षति हुई है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय